नम्बर व तारीख अह
जो इस हुक्म की त
में जारी हुए

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :– **अशोक असीजा आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः 02/2018

अनवानः–राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री शंकर लाल गोस्वामी व्यवस्थापक डबलीखुर्द विधि रोजगार महिला सहकारी समिति डबलीखुर्द तह0 टिब्बी।
2 गिरधारी लाल पुत्र रामसुखदास जाति अग्रवाल सा भोमपुरा तह0 हनुमानगढ।
3 रामचन्द्र ट्रैक्टर चालक पुत्र हनुमान जाति मेघवाल सा. भोमपुरा त0 हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः– 1 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री छगन लाल सिडाना अभिभाषक अप्रार्थीसं0 1 व 2
श्री अमिताभ सैनी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3

सत्यमेव जयते
Web Copy – Not Official

–:निर्णयः–

दिनांकः– 23.8.19

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया । जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनाक 21.8.18 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से प्राप्त सूचना कि ग्रामवासी डबलीखुर्द से ट्रेक्टर ट्राली में भरकर अवैध रूप से सरकारी गेहूं निकालने पर ट्रेक्टर ट्राली रोक रखी है की जांच हेतु मौके पर पहुंचा। मौके पर भोमाराम डबलीखुद्र के मकान के पास गली में एक ट्रेक्टर ट्राली नं. एचआर 22 आर 1487 खड़ा हुआ पाया। उक्त ट्रेक्टर के कागजात मौके पर नहीं पाये गये। ट्रेक्टर ट्राली की जांच करने पर खाद्य निगम के मार्कायुक्त बिना सील किये हुए बारदाने में 70 कटटे(35 क्विंटल गेहूं),दो कटटों (1 क्विंटल) चना भरा हुआ पाया। ट्राली में खाद्यान्न के सिवाय माप तौल कांटा, 20–20 किलो के दो बाटव 10 किलो का एक बाट मिला। मौके पर ट्रेक्टर ड्राईवर रामचंद्र व मापतौल व लदान में शामिल अन्य दो श्रमिक बलवीर व जग्गू मौके पर उपस्थित मिले। दौरान पूछताछ रामचन्द्र व मापतौल व लदान में शामिल अन्य दो श्रमिक ने बताया कि उक्त ट्रेक्टर ट्राली गिरधारी लाल वणिया सा. भोमपुरा की है। पूछताछ में राचन्द्र व उक्त दोनों श्रमिकों ने बताया कि उक्त गेहू दिनांक 20.8.18 को रात्रि 8 बजे शंकरलाल गोस्वामी व्यवस्थापक डबली खुर्द विविध रोजगार महिला सहकारी समिति डबलीखुर्द की उचित मूल्य दुकान से भरा था। रामचन्द्र व अन्य दो श्रमिकों ने बताया कि उक्त गेहूं को भरते समय सरकारी गेहूं के कट्टों को खोलकर पुराने कटटों में भरा गया था तथा उक्त गेहूं को ग्राम भोमपुरा पहुंचाया जाना था। उक्त जांच के कम में पुनः दिनांक 20.8.18 को डबलीखुर्द के मजवेआम में उचित मूल्य दुकानदार के संबंध में पूछताछ की गयी एवं मौके पर राशनकार्ड जांच किये गये तथा राशनकार्ड की प्रविष्टियों एवं उन राशनकार्डो

लीटर व चीनी 27 किलो का दुरूपयोग करना पाया गया। उक्त समस्त तथ्यों जैसे ट्रेक्टर ड्राईवर रामचंद्र व दोनों श्रमिकों बलवीर व जग्गू से पूछताछ में गेहूं का लादान शंकर लाल गोस्वामी व्यवस्थापक की दुकान/मकान से करना, गेहूं का परिवहन रात में करना तथा उचित मूल्य दुकानदार द्वारा खाद्य सुरक्षा के कुल 1355 किलो गेहूं, 84 लीटर केरोसीन व 27 किलो चीनी पॉस से अनुचित ट्रान्जेक्शन कर उपभोक्ताओं को न देना आदि से स्पष्ट होता है कि शंकर लाल गोस्वामी व्यवस्थापक ने स्वयं के हित में गेहूं,चीनी, केरोसीन का दुरूपयोग किया है। दौरान जांच उक्त तथ्यों के आधार पर 35 क्विंटल गेहूं को सरकारी गेहूं होना पाया जिस पर मौके पर ही 35 किवंटल गेहूं मय बारदाना तथा उक्त कार्य में प्रयुक्त आयशर ट्रेक्टर एचआर 22 आर 1487 मय ट्रोली लोहे की जब्त किया गया है। उक्त जब्तशुद्धा ट्रेक्टर ट्राली मय 35 क्विंटल गेहूं मय बारदाना रजीराम उचित मूल्य दुकानदार मिर्जावाली मेर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार शंकर लाल गोस्वामी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लाज 3 व 6 एवं पीडीएस कन्ट्रोल आर्डर 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन कर गम्भीर अपराध किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अर्न्तगत दण्डनीय अपराधी है तथ गेहूं की कालाबाजारी में उक्त ट्रेक्टर ट्राली के ड्राईवर रामचंद्र एवं खरीददार गिरधारी लाल द्वारा सहयोग किया गया है। अतः इस प्रकरण में उक्त जब्त शुद्धा गेहूं मय बारदाना व ट्रेक्टर ट्राली को राजसात करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलबी जारी की गयी। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक न्यायालय मे उपस्थित आये व अपने अपने जबाब प्रस्तुत किये गये।

अप्रार्थी रामचन्द्र द्वारा अपने जबाब में अंकित किया कि नोटिस की चरण सं. 1 में अप्रार्थी द्वारा गाम डबलीगुर्द से उचित मूल्य दुकान का कोई गेहूं ट्राली में भरकर नहीं ले जाया जा रहा था। चरण सं. 2 के क्रम में अंकित किया कि ट्रेक्टर ट्राली में 35 क्विंटल गेहू 1 क्विंटल चना पाया जाना स्वीकारहै लेकिन यह गेहूं व चना मिन प्रार्थी की कृषि भूमि की पैदावार का था। चरण सं. 3 कतई गलत व निराधार होना अंकित किया है। चरण सं. 4 के संबंध में अंकित किया कि दिनांक 23.8.18 को ग्राम डबलीखुर्द के मजवेआम में उचित मूल्य दुकानदार के संबंध में पूछताछ की गयी एवं मौके पर राशनकार्ड जांच किये गये तथा राशनकार्ड की प्रविष्टियों एवं उन राशनकार्डो की आनलाईन ट्रान्जेक्शन डिटेल का मिलाने करने पर गेहूं 1355 किलो, कैरोसीन84 लीटर व चीनी 27 किलो का दुरूपयोग करना पाया गया कतई गलत व निराधार है। इय चरण सं0 13.55 किवंटल गेहूं बताया जा रहा है जबकि ट्राली में 35 क्विंटल गेहूं पाया गया ऐसी स्थिति में समस्त प्रकरण पूर्ण रूप से मिथ्या साबित होता है। चरण सं. 5 के समस्त अभिकथन कतई गलत व निराधार होना अंकित किया है। चरण सं. 6 में गेहूं व ट्रेक्टर ट्राली सुपुर्दगी में दिया जाना स्वीकार किया है लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक ने कतई गलत व मनमाने रूप से प्रकरण बनाकर मिथ्या आधारों पर कार्यवाही की है। नोटिस के सलंग्न वर्णित राशनकार्डो की संख्या व गेहूं व मिटटीतेल एवं चीनी के बाबत पूर्ण विवरण जबाब में अंकित किया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा कोई गबन नहीं किया गया है। जब आनलाईन रिकार्ड सही पाया गया है तो ऐसी स्थिति में बिना रिकार्ड की जांच किये मिथ्या आरोप विरचित किये गये हैं। राज्यसरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.11.2017 के अनुसार यह आदेश दिया गया है कि एक भी यूनिट के पास बैद्य आधार कार्ड होने अथवा उक्तानुसार पहचान प्रमाणित होने पर यूनिटवार समस्त खाद्यान्न कोटा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ऐसी स्थिति में राशनकार्ड पर इन्द्राज किया जाना

आवश्यक नहीं हे। अतः जबाब नोटिस पेश कर प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे व प्रार्थी का अनुज्ञापत्र बहाल फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अपने जबाब में समस्त चरणों को अस्वीकार किया है। अतिरिक्त आपतियों में अंकित किया कि ट्रेक्टर प्रार्थी के नाम नहीं है और ना-ही प्रार्थी को उक्त वाका की कोई जानकारी है। प्रवर्तन निरीक्षक ने ना ही प्रार्थी कोा मौका पर बुलाया। अतः पगकरण की कार्यवाही ड्राप फरमायी जावे।

अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अपने जबाब में अंकित किया कि चरण सं. 1 अस्वीकार है। चरण सं. 2 के क्रमम` कथन किया ट्रेक्टर ट्राली के कागज मौका पर नहीं पाये गये संबंधी कथन अस्वीकार है। वास्तविक रूप से ट्रेक्टर का पंजीरण सं0 एचआर 22 ई 1487 है। ट्रेक्टर ट्राली में 35 क्विंटल गेहू व 1 क्विंटल चना पाया जाना मात्र स्वीकार है। चरण सं0 3 के क्रम में अंकित किया है कि अप्रार्थी केवल चालक है जिसके द्वारा वाहन स्वामी के निर्देशानुसार कार्य किया जाता है। उस दिन भी अप्रार्थी वाहन स्वामी के निर्देशानुसार उक्त शंकर लाल गोस्वामी के घर से गेहूं व चना उठाया गया था चरण सं. में वर्णित यह कथन कि पूछताछ में रामचन्द्र व दोनों श्रमिकों ने बताया कि उक्त गेहूं दिनांक 20.8.18 को रात्रि 8.00 बजे शंकर लाल गोस्वामी व्यवस्थापक डबलीखुर्द की उचित मूल्य दुकान से भरा था संबंधी कथन असत्य व मनघडंत होने से अस्वीकार है। इस चरण सं0 में वर्णिय यह कथन भी कि रामचन्द्र व श्रमिकों ने यह बताया हो कि उक्त गेहूं को भरते समय सरकारी गेहूं के कटटों को खोलकर पुराने कट्टों में भरा गया तथा उक्त गेहूं को गांव भोमपुरा पहुंचाया जाना था संबंधी कथन भी पूर्णतया असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है। चरण सं0 4 के क्रम में कथन किया कि ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। चरण सं0 5 के क्रम में अकित किया कि वर्णित कथन असत्य व मनधंडत होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी जो चालक है के द्वारा वाहन स्वाकी के निर्देशानुसार कार्य किया जा रहा था मिन अप्रार्थी को ट्रेक्टर में रखे सामान की प्रकृति व उसके स्वामित्व आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चरण सं. 6 में अंकित किया कि वर्णित ट्रेक्टर जब्त किया जाना मात्र स्वीकर है शेष कथन गेहूं के सरकारी होने की मिन अप्रार्थी को काइ जानकारी नहीं है। जबाब प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरूद्ध मय खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गयी जांच व प्रस्तुत प्रकरण विधि अनुसार प्रस्तुत किया गया है इसलिए प्रश्नगत गेहूं व ट्रेक्टर ट्राली को राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.8.18 में जिन राशनकार्डो के संबंध में विवरण दिया गया है कि उचित मून्ल्य दुकानदार द्वारा खाद्य सुरक्षा के कुल 1355 किलों गेहूं 84 लीटर केरोसीन व 27 किलो चीनी का वितरण अनुचित ट्रान्जक्शन कर स्वयं के हित के दुरूपयोग किया है। संदेह है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अन्य उपभोक्ताओं के राशनकार्डो में अनुचित ट्रान्जक्शन कर रसद सामग्री का दुरूपय्रां किया होगा। इस संबंध में पोषमशीन का पूर्ण विवरण राशनकार्ड वाईज अंकित है व आनलाईन रिकार्ड की प्रति सलंग्न की है। साथ ही बहस में यह भी तर्क किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.11.17 के अनुसार यह आदेश दिया गयाहै कि एक भी यूनिट के पास वैद्य आधार कार्ड अथवा पहचान प्रमाणित होने पर यूनिटवार समस्त खाद्यान्न कोटा प्राप्त करने का अधिकारी होगा ऐसी स्थिति में राशनकार्ड पर इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है। साथ ही यह भी निवेदन किया

गेहूं एवं चना मिन प्रार्थी (अप्रार्थी) की कृषि भूमि की पैदावार का था। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्राफ फरमाई जावे।

अप्रार्थी सं0 2 व 3 के अभिभाषक ने जबाब में अंकित तथ्यों का समर्थन करते हुए कार्यवाही ड्राप करने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने जबाब के सलंग्न पोष मशीन द्वारा वितरण सामग्री का विवरण कार्डवाईज दिया गया है। जिन राशनकार्डो का विवरण प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.8.18 में दिया गया है उनके संबंध में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत पोष मशीन के विवरण के अवलोकन से पाया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा उसकी उचित मूल्य दुकान के लिए आवंटित पोष मशीन से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किये गये राशनकार्डो के संबंध में दर्शायी गयी सामग्री का वितरण किया गया है जिसकी पूष्टि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत पोष मशीन के विवरण से होती है। इस प्रकार राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रकरण प्रमाणित नहीं होता है।

अतः प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है। जब्त शुद्धा गेहूं 35 किवंटल जो वरवक्त निरीक्षण श्री रजीराम उचित मूल्य दुकानदार मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी को सुपुर्द किया गया था उसको अप्रार्थी शंकर लाल गोस्वामी व्यवस्था डबलीखुर्द विविध रोजगार महिला सहकारी समिति डबलीखुर्द तह0 टिब्बी को लौटाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.9.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

(अशोक असीजा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़